पर्यावरण संबंधी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

820. **डा० अबरार अहमद :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों तथा औद्योगिक संयंत्रों के नाम क्या-क्या हैं जो पर्यावरण संबंधी प्रदूषण फैलाते हैं तथा देश में ऐसे औद्योगिक संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थित हैं तथा पर्यावरण को इन संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है तथा इस संबंध में राजस्थान के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किस नई तकनीक को अपनाया जा रहा है; और

(ग) पर्यावरणीय प्रदूषण से कौन-कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका है तथा क्या इस संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई योजनाएं हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गान्धी) : (क) और (ख) अधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करने की संभावना वाले उद्योगों की 15 श्रेणियों का अभिनिर्धारण किया गया है । ये हैं—उर्वरक, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, लोहा और इस्पात, ताप विद्युत, तेल शोधनशाला, चीनी, रंग और रंगाई माध्यम, लुगदी और कागज, किण्वन (मद्य निर्माणशालाएं), चर्म-शोधनशालाएं, कीटनाशक, पेट्रो-रसायन, औषध निर्माण । प्रत्येक यूनिट के ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले बड़े उद्योग निम्नलिखित हैं :—

1. मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लि. श्रीगंगानगर ।

2. श्री केशो राय पातन सहकारी शुगर मिल्स लि., केशोरायपटनम, जिला बूंदी ।

3. श्रीगंगानगर शुगर मिल्स, डिस्टीलरी डिवीजन, श्रीगंगानगर ।

4. मैसर्स उदयपुर डिस्टीलरी कम्पनी लि., उदयसागर रोड, उदयपुर ।

5. मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लि., एंट्री डिस्टीलरी, कोटा ।

6. मैसर्स ई.सी.एम. पेपर्स लि., भिवाड़ी ।

7. मैसर्स अग्रवाल पेपर मिल्स लि., अलवर ।

8. मैसर्स राजस्थान स्टेट टैनरीज, टोंक ।

9. मैसर्स सुमन इंटरनेशनल प्राइवेट लि., भिवाड़ी (अलवर) ।

10. मैसर्स एन.डी. टैनरीज (पी) लि., भिवाड़ी (अलवर) ।

11. मैसर्स शेखावती टैनरी एण्ड वूल रिफाइनरी फैक्टरी, सिकर ।

भारत सरकार ने उद्योग-विशेष बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं । प्रदूषक उद्योगों को निर्धारित समय के भीतर निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए समुचित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने हैं । प्रदूषक इकाइयों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से उद्योग चलाने की सहमति लेनी पड़ती है । दोषी इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है । प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने वाली इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाती है । प्रदूषण निवारण उपशमन एवं नियंत्रण के उपायों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है ।

(ग) पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली आम बीमारियां इस प्रकार हैं : हैजा, गैस्ट्रो-एन्टरिटीज, टाइफाइड, पीलिया लाल्मोनेलोसिस वैसीलरी डाइसेन्ट्री ब्रोंकाइटिस, अस्थमा,

तपेदिक, सिलिकोसिस, फेफड़े का कैंसर, दांत और मसूड़ों की बीमारियां, फलरोसिस, यकृत और गुरदे की बीमारियां, आंख/त्वचा में जलन, सुनने की समस्याएं, स्नायु तंत्र प्रणाली की समस्याएं आदि ।

केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और अन्य विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इस संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ।

सामाजिक वानिकी के लिए धनराशि

821. डा. अब्दार अहमद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 7 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक वनिकरण के लिये किन-किन राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गयी है तथा, राज्यवार भूमि के कितने क्षेत्र में वनरोपण का कार्य किया गया है ;

(ख) विगत 7 वर्षों के दौरान राजस्थान में सामाजिक वानिकी पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी कितनी धनराशि खर्च की गयी है तथा सवाई माधोपुर ने इसी कार्य पर कितनी धन राशि खर्च की गयी है और भूमि के कितने क्षेत्र पर वनरोपण का कार्य किया गया है; और

(ग) क्या राजस्थान तथा सवाई माधोपुर जिले में सामाजिक वानिकी के कार्य पर खर्च किये गये धन के लेखे की लेखापरीक्षा करवायी गई है तथा उस धन का वस्तुगत सत्यापन किया गया है, यदि हां, तो लेखापरीक्षा में क्या-क्या त्रुटियां पायी गयी तथा इसका ब्यौरा क्या है और उन त्रुटियों के लिये कौन जिम्मेदार हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों पर खर्च की गयी राज्यवार धनराशि जिसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि, (1985-86--1989-90) के लिये केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी धनराशि भी शामिल है, तथा वर्ष 1990-91 के दौरान किया गया आवंटन संलग्न विवरण में दिये गये हैं। वर्ष 1991-92 के लिये आवंटनों को अभी निर्धारित किया जाना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि की उपलब्धियां तथा वर्ष 1990-91 के लक्ष्य संलग्न विवरण I[में दिये गये हैं (नीचे देखिए) । आवंटनों की अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही वर्ष 1991-92 के लिये लक्ष्यों को निर्धारित किया जायेगा।

(क) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विवरण-I

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 से वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिये धनराशि का राज्यवार उपयोग

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/सं. शा. प्रदेश	7 वीं पंचवर्षीय योजना	1990-91*
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	14324.63	2167.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	1879.41	518.13
3.	असम	8031.08	1848.77